FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

केसाराम बनाम समेलाराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. आवेदन नं. 01/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/1/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री शिवछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/01/19 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
21/01/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 25/03/19 को पेश हो। [initials]	
25/03/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी जयपुर मिटिंग में पधारे हुए है अतः मिसल ईल्तवा होकर आगामी दिनांक 15/05/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

15/05/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों की एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 17/06/19 को पेश हो।

17/06/19 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 08/07/19 को पेश हो।

08/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको करीब 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र वास्ते मंगवाने तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट का प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः आइन्दा पत्रावली दिनांक 15/07/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)

15/07/19 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट मंगवाने बाबत पर प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा बतलाया कि तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाना [illegible] कारण से उक्त प्रकरण में [illegible] आवश्यक है ताकि प्रकरण में [illegible] प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। अतः [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र वास्ते मंगवाने मौका रिपोर्ट को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। तहसीलदार बायतु को तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 07/08/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
07/08/19	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 21/08/19 को पेश हो।	
21/08/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। नीज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/10/19 को पेश हो।	
22/10/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 10/12/19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनु०। तहसीलदार बायतु से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी वकील बहस [illegible] करना चाहते है अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 05/02/2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। तहसीलदार कामा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया. पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से खारिज दाखिल दफ्तर हो। 5/2/2020 सहायक कलक्टर (SDO) [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 01/2019 दिनांक :– 05.02.2020

प्रार्थी — बनाम — **विप्रार्थीगण**

केसाराम पुत्र दलाराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

1. समेलाराम पुत्र करनाराम
2. भानाराम पुत्र करनाराम
3. फूसाराम पुत्र करनाराम
4. मूलाराम पुत्र वगताराम फौत के कायम मुकान
   4/1. स्वरूपाराम पुत्र मूलाराम
   4/2. भंवराराम पुत्र मूलाराम
   4/3. खेमी पत्नी मूलाराम
5. मेघाराम पुत्र वगताराम
6. नरसिंगाराम पुत्र वगताराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाड़मेर
7. प्रबन्धक, सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
8. तहसीलदार, बायतु जाति जाट निवासी बाटाडू, तहसील बायतु जिला बाड़मेर

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :– 1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

आदेश

प्रार्थी ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 344/27 रकबा 116.01 बीघा ग्राम धतरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 346/28 व 348/28 में से होकर 15 फीट चौड़ा रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश किया। प्रार्थी का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब ... विप्रार्थीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये जाने तथा पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने से दिनांक 08.07.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार बायतु को लिखा गया। मौका रिपोर्ट तहसीलदार बायतु द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को साथ रखकर तैयार की गई। तहसीलदार बायतु ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थी द्वारा खेत खसरा नम्बर 346/28 व 348/28 में से होकर सड़क तक पहुंचने हेतु रास्ता चाहा है, न्यूनतम दूरी का रास्ता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं उक्त मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक मार्ग वर्तमान में नहीं चल रहा है। मौके पर कोई निर्माण नहीं है। सड़क से कम दूरी व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में लाल रंग से रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का कुल रकबा 00.08 बीघा है।

तहसील कार्यालय से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी वकील ने अपने आवेदन के तथ्य दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 344/27 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आता जाता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार 00.08 बीघा का रास्ता कायम किया जाये, जिस हेतु प्रार्थी नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने पर सहमत है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।

प्रार्थी के अनुसार जिस रास्ते को उसने प्रस्तावित किया है वह रास्ता मौके पर कदीम से विधमान है। प्रार्थी को इस रास्ते की अत्याधिक आवश्कता स्पष्ट है क्योंकि इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जहां से होकर प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1768 तक पहुंच सकें।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा [illegible] रवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु के खसरा नम्बर 346/28 व 348/28 में से होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु

ग नम्बर 344/27 तक पहुंचने हेतु 00.04 बीघा व 00.04 बीघा कुल 00.08 बीघा का रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कायम किया जाता है।

उक्त भूमि का प्रतिकर डी.एल सी की दर प्रति बीघा 121536/— व 151920/— से दुगना देय होगा। तहसीलदार बायतु प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि यानि 00.08 बीघा की राशि 46615 + 60770 = 107385/— तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर इस आदेश का भू अभिलेख में अंकन करे तथा प्रतिकर Compensation राशि 107385/— नियमानुसार विप्रार्थी संख्या 1 से 6 को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 05.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.11.24 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested